

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग


:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक २५-८-१७

संख्या-७/स्था०१-५-४/२०१०सा०प्र०...१०४५५...../महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-२८३३० दिनांक २५.०४.२०१७ तथा एम०जे०सी० संख्या-१९५५/२०१५ साथ में सिविल रिव्यू संख्या-३९/२०१६ में दिनांक १०.०८.२०१६ को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री परमानन्द मौर्य, तत्कालीन मुंसिफ सम्प्रति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मधुबनी को जिस तिथि को तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में प्रोन्नति दी गयी थी, उस तिथि को वे वरीय सिविल जज कोर्ट के वेतनमान में जो वेतन प्राप्त कर रहे थे, उस पर परिवर्तित हो जाएँगे तथा उस तिथि के बाद मिलने वाली तीन वेतन वृद्धियाँ संख्यात्मक प्रभाव से रोक रखी जायेगी।

२. विभागीय अधिसूचना संख्या-१२४४९ दिनांक १६.१२.२०१० को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से




(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-७/स्था०१-५-४/२०१०सा०प्र०...१०४५५...../पटना-१५, दिनांक २५-८-१७


प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-७ तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-७/स्था०१-५-४/२०१०सा०प्र०...१०४५५...../पटना-१५, दिनांक २५-८-१७

प्रतिलिपि-महोलेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-२८३३० दिनांक २५.०४.२०१७ के प्रसंग में/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक १८.०८.२०१७ में मद संख्या-१४ के रूप में स्वीकृति के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय/श्री परमानन्द मौर्य, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।